(7)

संख्या– 1008/35–4–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–4 लखनऊ:दिनांक 14 अगस्त,2014

विषयः–वर्ष 2014–15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग संख्या–92 (नया एन0एच0–719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग के चैनेज किमी. 60.00 से 69.85 के भाग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य, को रु. 8672.07 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है), की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु.3468.80 लाख (रूपये चौतीस करोड़ अरसठ लाख अस्सी हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी:–

1– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गई है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

3– निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग–6 के अध्याय –12 के प्रस्तर –318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– प्रश्नगत कार्यों के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

5– प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

(8)

6— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य के संसाधन से कार्य कराये जाने हेतु भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

7— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त मार्ग में संरक्षित वन क्षेत्र/आरक्षित वन क्षेत्र/वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ने के कारण वन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय की संबंधित समिति से कार्य कराने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा।

8— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम,1976 के प्राविधानों के अधीन अनुमति प्राप्त करते हुये अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व गैर वनभूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षो के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम अधिनियम,1976 के प्राविधानों के अधीन सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

10— पेड़ों के डिस्प्लेसमेन्ट व कम्पनसेट्री रोपण तथा डिवाइडर में पौधरोपण का समस्त कार्य वन विभाग के माध्यम से कराया जायगा।

11— प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एव चौड़ाई में परिवर्तन, कर्स्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 3 माह के अंदर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

12— मार्ग निर्माण से सृजित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के रख-रखाव के बजट से वहन किया जायेगा और संचालन व्यय को लोक निर्माण विभाग के द्वारा विभागीय बजट से वहन किया जायेगा।

13— जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

14— परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यो के रूप में कार्यदायी विभाग – द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस- 97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

15— स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च,2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च,2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

16— राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखो से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति

(9)

के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

17– जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी सामन्वय किया जायेगा।

18– कार्य मे प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

19– कार्य स्थल पर इसे त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ–साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन–साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

20– यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

21– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

21– कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य समाप्ति के पश्चात सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

22– अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

23– त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24– प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–40–आयोजनागत–लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय–04–जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–03–त्वरित आर्थिक विकास योजना–01–ग्रामीण क्षेत्र में नई सड़को के लिये एकमुश्त व्यवस्था–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाले जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5–1003/दस–2014 दिनांक 14 अगस्त, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

(10)

संख्या 1008(1)/35-4-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/नगर विकास विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त,कानपुर मण्डल,कानपुर।
7- जिलाधिकारी,इटावा।
8- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
9- कोषाधिकारी, इटावा।
10-गार्ड फाईल
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 1103/तेईस–14–2014–1त्व0आ0वि0यो0/14

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–14 लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2014

विषयः–त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग सं0–92 (नया रा0मा0–719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग के चैनेज किमी0 60.00 से 69.850 (यमुना सेतु) तक के भाग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु पी0सी0यू0 (पैसेन्जर कार यूनिट) के निर्धारित मानकों को शिथिल किये जाने एवं राष्ट्रीय राज मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण को राज्य के वित्तीय संसाधनों से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–1041नि0/119–01नि0/2014–15 दिनांक 18.06.2014 का कृपया सदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा राष्ट्रीय मार्ग सं0–92 (नया रा0मा0–719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग के चैनेज किमी0 60.00 से 69.850 (यमुना सेतु) तक के भाग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु पी0सी0यू0 (पैसेन्जर कार यूनिट) के निर्धारित मानकों को शिथिल किये जाने एवं राष्ट्रीय राज मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण को राज्य के वित्तीय संसाधनों से कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय मार्ग सं0–92 (नया रा0मा0–719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग के चैनेज किमी0 60.00 से 69.850 (यमुना सेतु) तक के भाग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु पी0सी0यू0 (पैसेन्जर कार यूनिट) के निर्धारित मानकों को शिथिल किये जाने एवं राष्ट्रीय राज मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत, उक्त योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को शिथिल करते हुए, राज्य के संसाधनों (बजट) से क्रियान्वित कराये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) C.E. (HA-I) / CE (NH)
(2) C.E. Kanpur

(शिव सहाय)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष

3 इस संबंध मे मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाहियां भी सुनिश्चित की जाय:-

(1) प्रश्नगत मार्ग मे संरक्षित वन क्षेत्र / आरक्षित वन क्षेत्र / वन्य जीव अभ्यारण पड़ने के कारण वन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से मा0उच्चतम न्यायालय की संबंधित समिति से कार्य कराने की यथावश्यकता अनुमति प्राप्त करने के बाद कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों का यथावश्यकता अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) पेड़ो के डिस्प्लेसमेन्ट व कम्पन्सेट्री रोपण तथा डिवाइडर में पौध रोपण का समस्त कार्य वन विभाग से कराया जाय।

4. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1) / 23-14-2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जयराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

Copy to :- all AE's ...

... सहायक ...

19/8/14